

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पटना, दिनांक :—

संकल्प

विषय :— राज्य में स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण की स्वीकृति।

राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण राईस मिलिंग की अपार संभावना है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग की तरफ से कई कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कृषि रोड मैप निर्मित किया गया है। जिसके अधीन राईस मिलिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बाईस लाख में ० टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उद्योग विभाग को भी कृषि रोड मैप से जोड़ा गया है। जिसके तहत राज्य में स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण की योजना को स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2 सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के विकास हेतु परम्परागत इकाई में स्थापित मशीन एवं संयंत्र के साथ व्हाईटनर, सिल्की, आप्टिकल सॉरटैक्स जैसी मशीन को स्थापित कर मॉडर्न राईस मिलिंग कार्य किया जाना है जिसके लिए रॉ-राईस संदर्भित आधुनिकीकरण पर अतिरिक्त 1.00 करोड़ रु० तथा पारव्याईल्ड इकाई पर 1.25 करोड़ अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए राईस मिल के आधुनिकीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 योजना की प्रक्रिया एवं मापदण्ड निम्नवत होगा :—

(क) इस योजना में उन राईस मिलिंग इकाईयों को लाभ पहुँचाना है, जो परम्परागत मशीन की सहायता से मिलिंग का कार्य करती हैं जिसमें राईस में काफी टूट होती है जिसके चलते मूल्य संबद्धन का लाभ नहीं मिल पाता है। इन इकाईयों में कुछ आधुनिक मशीन की स्थापना करने पर मॉडर्न इकाई का रूप दिया जाना प्रस्तावित है ताकि मिलिंग के पश्चात् हेड राईस के रूप में कम से कम 67 प्रतिशत प्राप्त हो जिसमें मूल्य संबद्धन के फलस्वरूप प्रोमोटर लाभान्वित हो सके।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एन०एम०एफ०पी०) योजना के अधीन आधुनिकीकरण करने वाली इकाईयों को 25 प्रतिशत अधिकतम 50.00 (पचास) लाख रु० तक अनुदान की योजना राज्य सरकार के स्तर से कार्यान्वित की जा रही है, लेकिन इस योजना से संभावना के अनुरूप प्रोमोटर लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे राज्य सरकार के स्तर से संभावित योजना का लचीलापन होने के साथ-साथ 35 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(ग) परम्परागत इकाईयों को मॉडर्न राईस मिलिंग हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एन०एम०एफ०पी०) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले 25 प्रतिशत अनुदान के साथ-साथ आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त 15 प्रतिशत की राशि राज्य अनुदान के रूप में दी जायेगी जो भारत सरकार की योजना में निर्धारित मार्ग-दर्शिका के आलोक में कियान्वित की जायेगी।

4 खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्य अवयवों यथा कोल्ड स्टोरेज, आर०ए०बी०सी० के राईस मिलिंग योजना को भी सम्मिलित किया जाता है।

5 मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता मांग संख्या-23 उप शीर्ष-0159- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन, विपत्र कोड- पी० 2852801020159, राज्य योजना स्कीम कोड- आई० एन० डी०- 5431, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से विकलित होगा।

6 यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। साथ ही इसकी 100(एक सौ) अतिरिक्त प्रतियों विभाग को भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:-DFP/F1-05/2014

पटना,

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रभारी ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:-DFP/F1-05/2014

पटना,

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले०एवं हक०), बिहार, पटना / कोषांग पदाधिकारी, सचिवालय कोषांग प्रविकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:-DFP/F1-05/2014 ८८८

पटना,

दिनांक :- २१०५।५

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / प्रबंधक, आई०टी०, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा-१ (स), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।